

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रकरण संख्या 24 / 2024

प्रार्थी / सायल

राजस्थान सरकार जरिये

हल्का पटवारी नगर

बनाम

गैर सायल

धनपतसिंह पुत्र खीमराजसिंह जाति
रावणा राजपूत निवासी नया नगर
तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 27.12.2024

निर्णय

प्रकरण से संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है कि पटवारी हल्का नगर ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा नया नगर के ख.न. 504/18 रकबा 55.5471 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन गोचर(राजकीय भूमि) में से 0.0243 हैक्टेयर पर अनाधिकृत कब्जा कर अतिक्रमी द्वारा बाड़ा बनाकर अतिक्रमण/अतिचार किया है। अतः गैर सायल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने तथा उक्त भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया।

सुनवाई की नियत तिथि को सायल हल्का पटवारी उपस्थित, गैर सायल उपस्थित। गैर सायल द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अतिक्रमण नहीं होना बताया गया। जिसके सम्बन्ध में भू.अ.नि. नगर से जांच रिपोर्ट ली गयी। जांच रिपोर्ट अनुसार गैर सायल का अतिक्रमण साबित होने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

हमने पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि किस्म गैर मुमकिन गोचर(सरकारी भूमि) है जिस पर गैर सायल का अनाधिकृत कब्जा साबित होता है। अतः गैर सायल को उक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित किया जाकर लगान 0.01 का राउण्ड अप 1 रुपये का 50 गुना शास्ति आरोपित करते हुए 50 रुपये का जुर्माना आरोपित किया जाता है। गैर सायल को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अनाधिकृत रूप से किये गये कब्जे को हटाकर भूमि को सरकारी तहवील में लेने तथा नियमानुसार जुर्माना वसूल कर जुर्माना राशि राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये जाते हैं। बेदखली एवं जुर्माना वसूली हेतु हल्का पटवारी, भू.अ.नि. तथा मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



(भागीरथराम)

तहसीलदार गुड़ामालानी
जिला-बाड़मेर

